

आदेश व इजलारा जी. जितेन्द्र कुमार शोभी आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 478/2025 (धारा 14 सेक्युरिटीजेशन)

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जेएसआईएल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रौनक मारदाज पुत्र श्री दिनेश मारदाज,
2. श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री दिनेश मारदाज,

पता:- 177, विश्वेशरिया नगर विस्तार, दुर्गापुरा, जयपुर।

अन्य पता:- प्लॉट नं. 34-ए, प्लेट नं. जी-2, ग्राउंड फ्लोर, अरिहंत-2, योजना आयुवान सिंह
नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर।

अन्य पता:- प्लश टेक्नोलॉजीज, प्लॉट नं. 177, विश्वेशरिया नगर विस्तार, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002



श्री सौरभ पंवार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.08.2025

में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2020 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रौनक मारदाज के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 34-ए, आयुवान सिंह नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर स्थित अरिहंत-2 के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित प्लेट नं. जी-2, कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 31,32,647/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 31,32,647/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 31,08,363/-रुपय की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.06.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः 'The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सैनक भारद्वाज के स्वागित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 34-ए, आयुवान सिंह नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर स्थित अरिहंत-2 के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित प्लेट नं. जी-2, कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कस होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर